



2026:AHC:124940-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23008 वर्ष 2026

सिया राम..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनुज कुमार मिश्रा, हिमांशु राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता, रवि प्रकाश पांडे

न्यायालय सं - 39

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह

1. श्री अभिषेक राय, अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ब्रीफ होल्डरको सुना; श्री रवि प्रकाश पांडे, वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. दिनांक 16.04.2026 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत 04.06.2025 के नोटिस पर याचिकाकर्ता की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। तदनुसार, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्लॉट संख्या-2077, गांव - सुसुवानी (जंगमपुर), थाना-चिताईपुर, जिला - वाराणसी पर किए गए निर्माण को अनधिकृत रूप से उठाया गया बताया गया है।

3. इस बात से व्यथित हूं कि प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रस्तुत किया कि गांव में भूमि वाराणसी विकास प्राधिकरण के नगरपालिका की सीमा के भीतर आती है। चूंकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्माण उक्त तिथि से पहले उठाया गया था और उसके बाद कोई निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को विध्वंस आदि के किसी भी नोटिस के साथ नहीं भेजा जा सकता है। अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दिनांक 11.07.2000 के बिक्री विलेख पर भरोसा किया, जिसमें खुलासा किया गया कि याचिकाकर्ता ने बिना निर्माण के खुली जमीन खरीदी थी।

5. दूसरी ओर, विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता का तर्क होगा कि भले ही निर्माणों को इस हद तक ध्वस्त नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा है कि ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कोई निर्माण किया गया था, याचिकाकर्ता के निर्माण को कंपाउंडिंग/शमन के अलावा संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

6. उठाई गई उस आपत्ति के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपाउंडिंग/शमन की मांग करने के लिए तैयार है। हालांकि, निर्माणों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है।

7. जिस हद तक, याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया बिक्री विलेख किसी भी निर्माण का खुलासा नहीं करता है, यह माना जाना चाहिए कि निर्माण 2000 से 2019 के बीच उठाए गए थे। इसके अलावा, किसी भी प्राधिकरण चाहे वह ग्राम पंचायत हो या नगर पंचायत द्वारा किसी भी निर्माण पर भरोसा न किए जाने के कारण, वे अनधिकृत हैं।

8. उपरोक्त मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, हालांकि याचिकाकर्ता कुछ हद तक सही है कि वर्तमान में निर्माणों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, साथ ही, याचिकाकर्ता निर्माणों को सुरक्षित करने के लिए कंपाउंडिंग/शमन के दायित्व से बच नहीं सकता है।

9. इस चरण में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को कानून के सभी प्रावधानों का पालन करने के बाद आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर कंपाउंडिंग/शमन आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है।

10. किए गए उस बयान को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण इस टिप्पणी के साथ किया जाता है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता कानून के सभी प्रावधानों का पालन



करने के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण के समक्ष आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर कंपाउंडिंग/शमन आवेदन दायर करे, उससे तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी योग्यता के आधार पर निपटाया जा सकता है। परिणामी कार्यवाही, यदि कोई हो, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश का पालन कर सकती है।

(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)

(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

3 जून 2026

अभिलाष

Translated Version. Not for Legal Use.